हाइवा ने 14 गोवंशों को कुचला, हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व कलेक्टर से मांगा जवाब

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः रतनपुर रोड पर ग्राम बारीडीह में मंगलवार रात हाइवा से कुचलकर मारे गए 14 मवेशियों के मामले पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बुधवार को चीफ जस्टिस ने इस पर स्पेशल डीबी में जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता से पूछा कि इन घटनाओं पर लगाम कैसे लगेगी, शासन ने जवाब के लिए समय लिया है। अब 30 जुलाई को अगली सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस ने रतनपुर में सड़क हादसे का जिक्र किया, जिसमें 14 मवेशी मारे गए हैं। इसे संज्ञान में लेकर इस पर भी बतौर जनहित याचिका सुनवाई की गई। कोर्ट ने कहा कि सभी जगह मुख्य सड़कों और हाईवे पर बहुत खतरनाक स्थिति है। अफसोस की बात है कि इस तरह के हादसे निरंतर हो रहे हैं। शासन इन पर रोक लगाने के क्या उपाय कर रहा है। डीबी ने महाधिवक्ता पीएन भारत से जानकारी ली कि पूर्व में अदालत के आदेश पर कितना अमल किया गया है। गायों के मालिकों के खिलाफ एफआइआर हुई है या नहीं। महाधिवक्ता ने बताया कि इस हादसे में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शासन की ओर से कहा गया कि एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) का पूरा पालन किया जाएगा। उन्होंने शासन की ओर से विस्तृत जवाब देने अदालत से समय देने का अनुरोध किया। इसे मंजूर कर हाई कोर्ट ने 30 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की है।

हाई कोर्ट का आदेश भी बेअसर : बिलासपुर हाई कोर्ट ने सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को हटाने के लिए राज्य शासन को आदेश जारी कर चुका है, लेकिन सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसकी वजह से लगातार हादसे हो रहे हैं। तखतपुर-मुंगेली, कोटा रोड, मस्तूरी, चकरभाठा के साथ ही सीपत रोड पर शाम ढलते ही सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा रहता है। लगातार हो रहे हादसों पर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। इस दौरान समय-समय पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है। इसमें उन्हें सड़कों से मवेशियों को हटाने और निगरानी करने कहा था, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जिला प्रशासन मवेशियों को हटाने ध्यान नहीं दे रहा है।

चार दिन पहले रतनपुर रोड पर मदनपुर के पास बाइक सवार युवक श्वान को बचाते हुए सड़क पर बैठे मवेशी से जा टकराया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई।